

संख्या:- ईडीएन-एचई(21)ए(3)33/2020-वीं
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला

अप्रैल, 2024

सेवा में,

समस्त उप निदेशक (उच्चतर शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश।

19 APR 2024

विषय:- अध्यापको की अनावश्यक ड्यूटी न लगाने बारे।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को एनएसएस कैम्प, खेल प्रतियोगिताओं एवं अन्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में अनावश्यक रूप में नियुक्त किया जा रहा है जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है और छात्रों का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता है। अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने अधीनस्त सभी राजकीय पाठशालाओं के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों मुख्यतः खेल प्रतियोगिताओं एवं खेल गतिविधियों में अध्यापकों को अनावश्यक कार्य के लिए नियुक्त न करें ताकि छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो और पाठ्यक्रम समय पर पूरा किया जा सके।

Sports / NSS
G.H.

निदेशक शिक्षा (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश शिमला-1

DDHE
22/4/2024

Endst.No.:-

EDN-U(G-1)Misc - 200

Dated :- 26/04/2024

O/o Dy. Director Higher Education
Una Distt. Una

Copy Forwarded to :-

necessary action.

All the School Heads GSSS/GHS of Distt. Una are hereby required for

Deputy Director of Higher Education,
Una Distt. Una 27.04.2024.